(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 08/2024-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 2024

सा.का.नि. .... (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. संख्या 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

(i) क्रम संख्या 377 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (ii) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(ii) सेलुलर मोबाईल फोन के स्क्रू, सिम साकेट या धातु के अन्य मैकेनिकल आइटम्स;” ;

(ii) क्रम संख्या 377ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

[फा.सं. सीबीआईसी-190354/190/2022-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

(विक्रम विजय वानरे)

अवर सचिव

टिप्पणी: - मूल अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि.सं. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 06/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 29 जनवरी, 2024, जिसे सा.का.नि.सं. 72(अ), दिनांक 29 जनवरी, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।